COMMONWEALTH OMBUDSMAN
OVERSEAS STUDENTS

अंतर्राष्ट्रीय छात्र - शिक्षा प्रदाता में परिवर्तन

यह तथ्य पत्रक **शिक्षा प्रदाता में परिवर्तन करने** के बारे में है; किसी दूसरे शिक्षा प्रदाता के पास स्थानांतरण करने के लिए आवेदन करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए और किन बातों पर विचार करना चाहिए।

मुझे किसी दूसरे शिक्षा प्रदाता के पाठ्यक्रम में स्थानांतरण करने के लिए अपने प्रदाता से अनुमति लेने की आवश्यकता कब होती है?

यदि आप अपने प्रधान पाठ्यक्रम (principal course)* के पहले छह महीने (अथवा यदि आपने स्कूल में नामांकन कराया है, तो अपने स्कूल के पाठ्यक्रम के पहले छह महीने) पूरे करने से पहले किसी दूसरे शिक्षा प्रदाता के पास स्थानांतरण करना चाहते/चाहती हैं, तो नए प्रदाता के पास नामांकन कराने से पहले आपको अपने प्रदाता से **विमुक्ति (release)** प्राप्त करनी होगी।

अपने प्रधान पाठ्यक्रम (principal course) के पहले छह महीने पूरे कर लेने के बाद आपको किसी अन्य शिक्षा प्रदाता के पास स्थानांतरण करने के लिए अपने प्रदाता की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

शिक्षा प्रदाताओं के पास एक **स्थानांतरण नीति (transfer policy)** होनी चाहिए जो यह निर्धारित करती है कि प्रतिबंधित स्थानांतरण अवधि के अंदर स्थानांतरण के आवेदनों पर प्रदाता विचार कैसे करेंगे।

मेरा प्रदाता मुझे विमुक्त करने से कब मना कर सकता है?

कुछ परिस्थितियों में आपका प्रदाता स्थानांतरण के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। प्रदाता की स्थानांतरण नीति में इसके बारे में रूपरेखा दी जानी चाहिए। स्थानांतरण को अस्वीकार करने के कारणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

* प्रधान अध्ययन (principal course) पाठ्यक्रम एक से अधिक पाठ्यक्रमों में मुख्य अध्ययन पाठ्यक्रम होता है (जिसके लिए छात्र वीज़ा जारी किया गया है)। सामान्यत: यह पैकेज का अंतिम पाठ्यक्रम होता है।

हमसे संपर्क करें
ombudsman.gov.au
1300 362 072

GPO Box 442
Canberra ACT 2601

अपने प्रदाता की स्थानांतरण नीति पढ़ें

अपना लिखित समझौता, विशेष रूप से फीस-वापसी (रिफंड) नीति पढ़ें

Department of Home Affairs से पता लगाएँ कि क्या इस परिवर्तन के कारण आपके छात्र वीज़ा पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है

राष्ट्रमंडल लोकपाल एक नि:शुल्क सेवा है

क्या आपने हमारा वीडियो देखा है? इसे देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें

- आप ऐसे पाठ्यक्रम में स्थानांतरण करने के लिए आवेदन करते/करती हैं कि जिसमें प्रवेश करने के लिए आपके पास समुचित योग्यताएँ या कुशलताएँ नहीं है
- इस स्थानांतरण से पाठ्यक्रमों के पैकेज में आपकी प्रगति के लिए जोखिम पैदा हो जाएगा
- स्थानांतरण करने से आपकी वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन होगा
- आप अपनी उपस्थिति या पाठ्यक्रम में प्रगति की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल होने के कारण Department of Home Affairs के पास आपकी रिपोर्ट किए जाने से बचने की कोशिश कर रहे/रही हैं
- आपके ऊपर प्रदाता का पैसा बकाया है।

आपके प्रदाता की स्थानांतरण नीति में ऐसी परिस्थितियों की रूपरेखा भी दी जानी चाहिए जिनमें वह स्थानांतरण के आवेदन को इसलिए **स्वीकृत** करेगा क्योंकि यह परिवर्तन आपके सर्वोत्तम हित में है। इसमें निम्नलिखित परिस्थितियाँ शामिल हैं:

- आप अपने प्रदाता की हस्तक्षेप कार्यनीति के अनुसार कार्य करने के बावजूद भी पाठ्यक्रम में संतोषजनक प्रगति प्राप्त नहीं कर पाते/पाती हैं
- आप सहानुभूतिपूर्ण और बाध्यकारी परिस्थितियाँ प्रदर्शित करते/करती हैं
- आपका प्रदाता आपके लिखित समझौते में निर्धारित किए गए तरीके से पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने में असफल रहता है
- इस बात का प्रमाण है कि आपके पाठ्यक्रम के बारे में आपकी समुचित अपेक्षाएँ पूरी नहीं की जा रही हैं
- इस बात का प्रमाण है कि अपने प्रदाता या पाठ्यक्रम के बारे में आपको (प्रदाता या उसके एजेंट द्वारा) भ्रमित किया गया था, जिसके कारण पाठ्यक्रम आपकी आवश्यकताओं या आकाँक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है।

विमुक्ति के लिए आवेदन करने से **पहले** मुझे क्या करना चाहिए?

- यह देखने के लिए अपना लिखित समझौता पढ़ें कि स्वीकृति देते समय आप किन बातों के लिए सहमत हुए थे/हुई थीं। अपने लिखित समझौते में दिए गए फीस-वापसी (रिफंड) के नियमों और शर्तों को समझे बिना किसी अन्य प्रदाता के पास स्थानांतरण **न करें**
- यह देखने के लिए अपने शिक्षा प्रदाता की **स्थानांतरण नीति** (**transfer policy**) पढ़ें कि आपको क्या करने की आवश्यकता है
- यह देखने के लिए अपने प्रदाता की **फीस, फीस-वापसी (रिफंड) और निरस्तीकरण नीतियाँ (cancellation policies)** पढ़ें कि क्या आपको बकाया फीस का भुगतान करना होगा या क्या आप फीस के कुछ हिस्से को वापिस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं
- इस बात की जांच करें कि क्या आपको अपने वर्तमान प्रदाता से नामांकन वापिस लेने के लिए कुछ **निरस्तीकरण** फीस (**cancellation** fee) देनी होगी या नहीं

- Department of Home Affairs से यह पता करें कि क्या आपके **छात्र वीज़ा की शर्तों** के तहत स्थानांतरण करने की अनुमति है या क्या एक नए वीज़ा की आवश्यकता हो सकती है
- आप जिस पाठ्यक्रम में स्थानांतरण करना चाहते/चाहती हैं, उसके लिए एक प्रस्ताव-पत्र (letter of offer) प्राप्त करें।

आप **Department of Home Affairs** की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम बदलने से अपने छात्र वीज़ा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में और अधिक पढ़ सकते/सकती हैं।

यदि मेरा प्रदाता मुझे विमुक्त)release(करने से मना कर दे, तो मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

यदि आपका प्रदाता आपको अपने पाठ्यक्रम से विमुक्त (release) करने से मना कर दे, तो आप अपने प्रदाता की **आंतरिक** शिकायत और अपील प्रक्रिया के माध्यम से अपील कर सकते/सकती हैं। यदि आप अपने प्रदाता के निर्णय से संतुष्ट न हों, तो आप हमारे कार्यालय के पास **बाहरी** शिकायत कर सकते हैं।

मैं बाहरी शिकायत कैसे कर सकता/सकती हूँ?

यदि आप एक **निजी शिक्षा प्रदाता** के साथ अध्ययन करने वाले/वाली एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्रा हैं, तो आप राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman) के पास शिकायत कर सकते/सकती हैं। लोकपाल (Ombudsman) ऑस्ट्रेलिया में निजी स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों (शिक्षा प्रदाताओं) के साथ भविष्य में अध्ययन करने के इच्छुक, वर्तमान में अध्ययन करने वाले, या भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्राओं को होने वाली समस्याओं के बारे में शिकायतों की जाँच करते हैं। आप हमारा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते/सकती हैं या हमें **1300 362 072** पर फोन कर सकते/सकती हैं। शिकायत करने और हमसे संपर्क करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ombudsman.gov.au** पर जाएँ।

यदि आप **दक्षिण ऑस्ट्रेलिया** में अध्ययन करने वाले/वाली एक अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू छात्रछात्रा हैं/, तो आप Office of the Training Advocate के पास शिकायत कर सकतेसकती हैं।/ यदि आप एक **सार्वजनिक (सरकारी)शिक्षा प्रदाता** के साथ अध्ययन करने वालेछात्रा हैं/वाली एक अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू छात्र/, तो आप उपयुक्त राज्य या राज्यक्षेत्र लोकपाल- (state or territory ombudsman) के पास शिकायत कर सकतेसकती हैं।/

मेरी सहायता और कौन कर सकता है?

आप हमारी वेबसाइट पर अपनी सहायता करने में सक्षम अन्य संगठनों के लिए उपयोगी कड़ियों की सूची देख सकते/सकती हैं।

केस अध्ययन

ब्राज़ील से आने वाली सुश्री सिल्वा* के स्थानांतरण के निवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि उनके प्रदाता ने यह निर्धारित किया कि ऐसा परिवर्तन उनके सर्वोत्तम हित में नहीं था। सुश्री सिल्वा अपने पाठ्यक्रम में अच्छी

* गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नाम और देश बदल दिया गया है

तरह से प्रगति नहीं कर रही थीं, और उनके प्रदाता को लगा कि वे Department of Home Affairs के पास रिपोर्ट किए जाने से बचने की कोशिश कर रही थीं। परंतु प्रदाता हमें इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिखा सका कि उसने सुश्री सिल्वा को किसी हस्तक्षेप कार्यनीति में संलग्न करने की कोशिश की थी। प्रदाता ने सही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था, इसलिए हमने यह सलाह दी कि वह सुश्री सिल्वा को अपने पाठ्यक्रम से विमुक्त (release) कर दे। प्रदाता ने इस सलाह का अनुपालन किया।

और अधिक जानकारी वेबसाइट **ombudsman.gov.au** पर उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें: इस प्रपत्र का उद्देश्य केवल एक निर्देशिका के रूप में मार्गदर्शन करना है। इसलिए व्यक्तिगत मामलों में इस जानकारी पर कानूनी सलाह के रूप में या कानूनी सलाह के एक विकल्प के रूप में निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रमंडल लोकपाल कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक इस प्रपत्र पर निर्भरता के परिणामस्वरूप आपको होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उद्धृत अधिनियमों के सबसे अद्यतित संस्करणों के लिए कृपया Federal Register of Legislation देखें।